भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

2021-22 से 2025-26 तक

कक्षा IX और X में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए

मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति

के दिशा-निर्देश

विषय-वस्तु

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	परिचय	3
2	उद्देश्य	3
3	योजना की प्रमुख विशेषता	3
3.1	क्षेत्र	3
3.2	पात्रता की शर्तें	3
3.3	आय मानदंड	4
3.4	छात्रवृत्ति का महत्व	4
3.5	छात्रवृत्तियों की अवधि और नवीनीकरण	5
4	अभ्यर्थियों का चयन	5
4.1	संस्थान नोडल अधिकारी की भूमिका	6
4.2	जिला/राज्य नोडल अधिकारी की भूमिका	7
5	आवश्यक दस्तावेज़	7
6	योजना की घोषणा और समय-सीमा	8
7	प्रचार और आवेदन आमंत्रित करना	9
8	योजना का वित्तपोषण स्वरूप	9
9	भारत सरकार की सहायता का दावा करने और जारी करने की प्रक्रिया	9
10	निगरानी और मूल्यांकन	10
11	केंद्र और राज्य पीएमयू	11
12	योजना के प्रावधानों में परिवर्तन	12

1. परिचय

यह अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्रों को कक्षा IX और X में शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

2. उद्देश्य

नौवीं और दसवीं कक्षा में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के बच्चों की सहायता करना ताकि ड्रॉप-आउट की घटनाएं, विशेष रूप से प्रारंभिक से माध्यमिक स्तर तक के दौरान कम से कम हो, और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को शिक्षा के मैट्रिक स्तर के बाद के चरण में आगे बढ़ने का बेहतर अवसर मिल सके।.

3. योजना की मुख्य विशेषताएं

3.1 कार्यक्षेत्र

योजना के तहत छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति के छात्रों को भारत में अध्ययन के लिए उपलब्ध होगी और सीधे छात्र के खाते में स्थानांतरित की जाएगी। छात्रवृत्ति उस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी जिसमें आवेदक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा तय किए गए अधिवास की शर्तों के अनुसार संबंधित है।

3.2 पात्रता की शर्तें

I. आवेदक छात्र अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए, इसलिए उस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में निर्दिष्ट किया गया है जिससे वह वास्तव में संबंधित है (अधिवास राज्य)।

II. छात्र को सरकारी स्कूल या सरकार या केंद्रीय / राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में अध्ययनरत होना चाहिए।

III. छात्र की पारिवारिक आय सभी स्रोतों से 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

IV. छात्र का किसी अनुसूचित बैंक में वैध खाता होना चाहिए, जो आधार और मोबाइल नंबर से जुड़ा हो।

V. छात्र कोई अन्य छात्रवृत्ति न प्राप्त कर रहा हो।

VI. किसी भी कक्षा में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए मिलेगी। यदि किसी छात्र को एक कक्षा दोहरानी है, तो उसे उसी कक्षा के लिए दो बार छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। छात्र उत्तीर्ण (प्रोन्नत) होने पर अगली कक्षा के लिए छात्रवृत्ति का नवीनीकरण कर सकता है।

3.3 आय मानदंड

आवेदक छात्र के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये) प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

पारिवारिक आय की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगी: -

I. ऐसे मामले में जहां पिता और माता दोनों कार्यरत हैं, कुल पारिवारिक आय की गणना में उन दोनों की सभी स्रोतों से संयुक्त आय को ध्यान में रखा जाएगा।

II. यदि परिवार का कोई अन्य सदस्य, पिता और माता के अलावा, एक कमाऊ सदस्य है, तो उसकी आय को कुल पारिवारिक आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

III. यदि माता-पिता में से केवल एक जीवित है, तो कुल पारिवारिक आय पर विचार करने के लिए उस माता-पिता की आय को ध्यान में रखा जाएगा। यदि कोई अन्य सहोदर या परिवार का सदस्य कमाने वाला सदस्य है, तो उनकी आय को कुल पारिवारिक आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

IV. एक अनाथ के मामले में, एक अभिभावक द्वारा सहायता पर आय मानदंड लागू नहीं होगा।

***नोट* 1:** *आय की परिभाषा - आय का अर्थ सकल आय है जिसमें आयकर अधिनियम में उपलब्ध किसी छूट और कटौती के बिना सभी स्रोतों से आय शामिल है।*

***नोट* 2:** *आय प्रमाण पत्र केवल एक बार अर्थात कक्षा **IX** में प्रवेश के समय लेना आवश्यक है, जो कक्षा **X** के लिए भी मान्य होगा।*

***नोट* 3:** *प्रवेश के समय दिया गया आय प्रमाण पत्र उसी वर्ष लिया जाना चाहिए जिसमें प्रवेश लिया गया हो। माता-पिता के वेतनभोगी कर्मचारी होने की स्थिति में पात्रता के प्रयोजन के लिए पिछले वित्तीय वर्ष की आय पर विचार किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई उम्मीदवार शैक्षणिक वर्ष **2021-22** के लिए नए सिरे से आवेदन करता है, तो पात्रता तय करने के लिए वित्तीय वर्ष **2020-21** के लिए पारिवारिक आय को देखा जाएगा।*

3.4 छात्रवृत्ति का महत्व

छात्रवृत्ति एवं अन्य अनुदान की दरें इस प्रकार रहेंगी:

राशि रुपये में

मदें	**डे स्कॉलर्स**		**छात्रावासी (हॉस्टलर्स)**	
	मासिक	वार्षिक	मासिक	वार्षिक
10 माह के लिए छात्रवृत्ति	225	2250	525	5250
पुस्तकें तथा तदर्थ अनुदान		750		1000

अतिरिक्त निःशक्तता भत्ताः- *उपरोक्त तालिका-2 में दी गई छात्रवृत्ति के अतिरिक्त 800/- रू0 मासिक (9600 रू. वार्षिक) का अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा।*

दिव्यांगजन छात्र जो छात्रावास में है और दिन के छात्र को 600 *रुपये / मासिक (7*200 *रुपये वार्षिक)। अधिनियम के तहत परिभाषित दिव्यांगता को राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के एक सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। कुष्ठ-उपचारित एवं सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया से ग्रसित छात्रों को आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ निःशक्तता भत्ते के प्रावधान भी लागू होंगे।*

3.5 छात्रवृत्तियों की अवधि और नवीनीकरण

I. छात्रवृत्ति एक शैक्षणिक वर्ष में 10 माह के लिए देय होगी। अतिरिक्त दिव्यांगता भत्ता सभी बारह महीनों के लिए भुगतान किया जाएगा।

II. एक बार दी गयी छात्रवृत्ति अच्छे आचरण और उपस्थिति में नियमितता के अधीन जारी रहेगी। छात्र के नौवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इसे दसवीं कक्षा के लिए नवीनीकृत किया जाएगा।

4 अभ्यार्थियों का चयन

I. सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने और छात्र के बैंक खाते में डीबीटी मोड के माध्यम से छात्रवृत्ति के संवितरण के लिए एक ऑनलाइन मंच विकसित करने की आवश्यकता है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र ऐसे आवेदन आमंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विकल्प चुन सकते हैं।

II. जैसा कि ऊपर पैरा 3 में उल्लेख किया गया है, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र छात्र से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करेंगे। कोई भी छात्र जो गलत तथ्यों को बताता है या गलत तथ्यों को प्रस्तुत करता है, वह अपात्र हो जाएगा और योजना से वंचित होने के लिए उत्तरदायी होगा।

III. पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने से पहले, छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे राज्य/एनएसपी पोर्टल के निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें और उनके पास उपरोक्त पैरा 3 में उल्लिखित सभी दस्तावेज होने चाहिएं। आवेदन करते समय आवेदक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए।

   क. राज्य (अधिवास राज्य) से संबंधित लेकिन दूसरे राज्य में अध्ययन करने वाले उम्मीदवारों को उस राज्य द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी जिससे वे संबंधित हैं (अधिवास राज्य) और अपने अधिवास राज्य में सक्षम अधिकारियों को अपने आवेदन जमा करेंगे।

   ख. आवेदनों में दिया गया बैंक खाता विवरण (खाता संख्या, आईएफएससी कोड) सही होना

चाहिए और खाता सक्रिय (अर्थात निष्क्रिय नहीं) रहना चाहिए। खाता छात्र/माता-पिता के नाम पर होना चाहिए और समय पर डीबीटी सुनिश्चित करने के लिए आधार और मोबाइल से जुड़ा होना चाहिए।

ग. अपलोड किए गए दस्तावेज़ों और फ़ोटो का रिज़ॉल्यूशन/गुणवत्ता पर्याप्त होनी चाहिए और दस्तावेज़ सुपाठ्य और स्पष्ट होने चाहिए।

घ. आवेदन में दिया गया मोबाइल नंबर सही, सक्रिय होना चाहिए और आवेदक या माता-पिता का होना चाहिए। छात्र को छात्रवृत्ति की पूरी अवधि के लिए बैंक खाते से जुड़ा एक ही मोबाइल नंबर जारी रखना चाहिए। किसी भी परिवर्तन के मामले में, छात्र को परिवर्तित संख्या को रिकॉर्ड में शामिल करने की आवश्यकता होती है।

ङ. आवेदक छात्र को राज्य के स्वामित्व वाले पोर्टल/एनएसपी से प्राप्त एसएमएस पर समय पर कार्रवाई करनी चाहिए।

च. आवेदक को समय सीमा समाप्ति से पहले आवेदन सत्यापन के लिए संस्थानों से सम्पर्क करना चाहिए।

छ. आवेदक को त्रुटि(त्रुटियों) को सुधारना चाहिए और आवेदन में की गई टिप्पणियों का अनुपालन करना चाहिए, यदि आवेदन को राज्य के स्वामित्व वाले पोर्टल/एनएसपी में दोषपूर्ण के रूप में चिह्नित किया गया है।

ज. आवेदक ध्यान दें कि सत्यापन प्रक्रिया के दौरान नोडल अधिकारी द्वारा अस्वीकृत के रूप में चिह्नित किए गए आवेदनों पर एनएसपी पर आगे की प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जाएगा, उन राज्यों के संबंध में जो एनएसपी पर हैं।

4.1 संस्थान के नोडल अधिकारी की भूमिका

प्रत्येक प्रतिभागी शैक्षणिक संस्थान इस छात्रवृत्ति योजना के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करेगा।

क. संस्थान के नोडल अधिकारी को संस्थान द्वारा जारी वैध दस्तावेजों के साथ छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।

ख. पोर्टल पर पंजीकरण करने से पहले संस्थान/स्कूल के पास वैध एआईएसएचई/यू-डीआईएसई/एनसीवीटी/एससीवीटी कोड होना चाहिए। यदि संस्थान पंजीकृत नहीं है, तो नोडल अधिकारी आवश्यक विवरण प्रदान करके इसे जोड़ सकते हैं।

ग. संस्थान के नोडल अधिकारी की प्राथमिक भूमिका पोर्टल पर आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों के सत्यापन के प्रथम स्तर का संचालन करना है। संस्थान के नोडल अधिकारी को आवेदन पत्र और छात्र/आवेदक द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों में विवरण की शुद्धता की पुष्टि

करनी चाहिए, और छात्र/आवेदक द्वारा प्रस्तुत सहायक दस्तावेजों की वास्तविक प्रतियों को बनाए रखना चाहिए। जिला/राज्य/मंत्रालय के नोडल अधिकारी आवश्यकता पड़ने पर संस्थान के नोडल अधिकारी से इन दस्तावेजों की प्रतियां मांग सकते हैं।

घ. संस्थान के नोडल अधिकारी के पास आवेदन को सत्यापित करने, आवेदन को अस्वीकार करने या आवेदन को दोषपूर्ण ठहराने का विकल्प होता है। वह आवेदन को अस्वीकार करने या दोषपूर्ण ठहराने का विकल्प चुनता है तो अस्वीकृति या दोषपूर्ण ठहराने के कारण प्रदान किए जाने चाहिए, ताकि छात्र/आवेदक को इसे प्रदर्शित किया जा सके।

4.2 जिला/राज्य नोडल अधिकारी की भूमिका

जिला/राज्य नोडल अधिकारी की प्राथमिक भूमिका दूसरे/तीसरे स्तर पर दस्तावेजों को सत्यापित करना है।

क. जिला/राज्य नोडल अधिकारी योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र और छात्र/आवेदक द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों में विवरण की सत्यता की पुष्टि करेगा।

ख. जिला/राज्य नोडल अधिकारी या तो आवेदन को सत्यापित कर सकता है, आवेदन को दोषपूर्ण ठहरा सकता है या कारण बताते हुए आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।

ग. जिला/राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी संस्थान स्तर पर योजना के लिए आवेदनों की समग्र लम्बितता की निगरानी करेगा।

घ. जिला/राज्य नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि संस्थान द्वारा आवेदनों की समय-समय पर जांच की जाती है, इस प्रकार आवेदनों को सत्यापित करने के लिए अंतिम समय की भीड़ से बचा जा सकता है।

5 आवश्यक दस्तावेज

दिशा-निर्देशों के खंड 3 में उल्लिखित आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों के लिए छात्रों को सावधानीपूर्वक राज्य/एनएसपी पोर्टल को देखना होगा।

क. आधार संख्या
ख. मूल निवासी प्रमाण पत्र
ग. राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अ.ज.जा. प्रमाण पत्र।
घ. पारिवारिक आय प्रमाण पत्र।
ङ. दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
च. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की स्कैन की गई कॉपी

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र अ.ज.जा. प्रमाण पत्र, परिवार आय प्रमाण पत्र और दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया और ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को निर्दिष्ट कर सकते

हैं। यदि राज्य के पास ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने की ऑनलाइन व्यवस्था है, जिसमें उत्तीर्ण परीक्षा का प्रमाण पत्र भी शामिल है, तो राज्य/केंद्र शासित प्रदेश डिजीलॉकर के माध्यम से पोर्टल को लिंक कर सकते हैं ताकि डिजिलॉकर में रखे गए प्रमाण पत्र स्वतः प्राप्त किए जा सकें।

नोट 1: - आय के स्व-मूल्यांकन की स्व-घोषणा या शपथ पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे और राज्य सरकारें इस उद्देश्य के लिए एक सक्षम आय-प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को सूचित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करेंगी।

सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को छात्रों के प्रश्नों का समाधान करने के लिए एक समर्पित हेल्पडेस्क/शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर हेल्पडेस्क की प्राथमिक भूमिका पोर्टल के विभिन्न स्तरों पर उपयोगकर्ताओं को प्रथम स्तर की सहायता प्रदान करना है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र:

क. पंजीकरण और आवेदन पत्र भरने के लिए छात्र/आवेदकों की सहायता करें, और शुल्क, संस्थान विवरण आदि जैसे प्रश्नों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करें।

ख. जब भी आवश्यक हो, महत्वपूर्ण मुद्दों को राज्य/एनएसपी टीम तक पहुंचाएं।.

लाभार्थियों का डी-डुप्लीकेशन सुनिश्चित करने के लिए राज्य विभिन्न अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत लाभार्थियों का एक पूरा डेटाबेस बनाए रखेंगे।

6. योजना की घोषणा और समय-सीमा

छात्रवृत्ति का समय पर संवितरण सुनिश्चित करने के लिए, यह आवश्यक है कि राज्य/संघ राज्यक्षेत्र पोर्टल को खोलने और बंद करने, आवेदनों के सत्यापन और डीबीटी के माध्यम से छात्रों को छात्रवृत्ति के वितरण के लिए समय-सीमा का पालन करें। राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन 1 अप्रैल तक आवेदन आमंत्रित करने के लिए पोर्टल खोलने के लिए सभी प्रयास करेंगे। आवेदक को उपयोग प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि से पहले निर्धारित प्राधिकारी को पूरा आवेदन जमा / अपलोड करना चाहिए। पोर्टल खोलने, बंद करने, छात्र और संस्थान के सत्यापन और छात्रवृत्ति के वितरण के लिए निम्नलिखित समय-सीमा का सुझाव दिया गया है।

प्रक्रिया	नया	नवीनीकरण
छात्रों के लिए पंजीकरण	1 अप्रैल - 31 जुलाई	1 अप्रैल– 31 जुलाई
संस्थानों के सत्यापन का समापन	31 अगस्त	31 अगस्त
संस्थान / राज्य द्वारा सत्यापन का समापन	30 सितंबर	30 सितंबर
छात्रवृत्ति का वितरण	31 अक्टूबर	31 अक्टूबर

उपर्युक्त समय-सीमाएँ केवल सांकेतिक हैं। राज्य को प्रयास करना चाहिए कि नवीनीकरण वाले छात्रों के लिए सत्यापन पूरा होते ही संवितरण शुरू हो जाए।

नोट 1: राज्य/संघ राज्यक्षेत्र यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि छात्रवृत्ति प्रभाग के तहत एक समर्पित सेल बनाया जाए जो पोर्टल तैयार करने, आवेदन भरने में शिकायत निवारण, पोर्टल के साथ राज्य के बाहर सूचीबद्ध संस्थानों सहित सभी संस्थानों के एकीकरण, दस्तावेजों के सत्यापन और छात्र की पात्रता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम शुल्क और वृत्तिका की जांच, आधार से जुड़ा बैंक खाता और छात्रवृत्ति के वितरण के सत्यापन के लिए जिम्मेदार होगा।

7. प्रचार और आवेदन आमंत्रित करना

राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन इस योजना का समुचित प्रचार-प्रसार करे और स्थानीय भाषा में विज्ञापन जारी करके, राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में और अपनी-अपनी वेबसाइटों और अन्य मीडिया संगठनों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करे। नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ)/एनजीओ/पीआरआई/किसी अन्य हितधारक के समन्वय से भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है।

8. योजना का वित्तपोषण स्वरूप

यह योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। भारत सरकार का योगदान 75% होगा और राज्य का योगदान 25% होगा। उत्तर पूर्व राज्यों और पहाड़ी राज्यों के संबंध में, भारत सरकार का योगदान 90% और राज्य का योगदान 10% होगा। अंडमान और निकोबार जैसे संघ राज्यक्षेत्रों के मामले में बिना विधान सभा और स्वयं के अनुदान के, भारत सरकार का योगदान 100% होगा।

8.1 मंत्रालय का प्रयास है कि आधार सक्षम भुगतान प्रणाली का उपयोग करते हुए डीबीटी मोड द्वारा छात्रों को छात्रवृत्ति हस्तांतरित की जाए। मंत्रालय एनएसपी के साथ एक तंत्र तैयार करेगा

ताकि योजना में केंद्रीय हिस्सा सीधे छात्रों के बैंक खातों में डीबीटी मोड पर जारी किया जा सके। राज्यों को संस्थान, जिला और राज्य स्तर पर छात्र का आवश्यक सत्यापन पूरा करना होगा। आवश्यक सत्यापन के बाद, राज्य पात्र छात्रों का डेटा एनएसपी को साझा करेगा, जो बदले में छात्र के बैंक खाते में राशि जारी करेगा। इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। जब तक उक्त तंत्र विकसित नहीं हो जाता, तब तक छात्रवृत्ति का केंद्रीय हिस्सा राज्यों को हस्तांतरित कर दिया जाएगा और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपने योगदान के साथ छात्र के बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति राशि का भुगतान करेंगे।

9. केंद्रीय सहायता का दावा करने और जारी करने की प्रक्रिया

I. केंद्रीय सहायता राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निधि की उपलब्धता और सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अनुपालन के आधार पर दो या अधिक किस्तों में जारी की जाएगी। केंद्रीय सहायता व्यय विभाग (डीओई, वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी की जाएगी। राज्यों को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा: -

   क. राज्य ने पिछले वर्ष में दी गई राशि का उपयोग किया है और उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत किया है।

   ख. राशि लाभार्थियों को वितरित कर दी गई है और व्यय पीएफएमएस में दर्शाया गया है।

   ग. राज्य ने भी केंद्रीय हिस्से के अनुरूप पिछले वर्ष में अपने हिस्से का योगदान दिया है।

   घ. राज्य ने पिछले वर्ष का व्यय विवरण (एसओई) प्रस्तुत किया है, वास्तव में उपयोग की गई राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित है।

   ङ. राज्य ने ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए पोर्टल खोल दिया है।

   च. राज्य ने पिछले वर्ष के वास्तविक व्यय के आधार पर अनुमानित व्यय प्रस्तुत किया है।

II. निधियों की उपलब्धता और पिछले वर्ष में प्रदान की गई निधियों के उपयोग के संबंध में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा अनुपालन के आधार पर छात्रवृत्ति के समय पर संवितरण के लिए डीओई के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को केंद्रीय हिस्सा जारी किया जा सकता है।

III. पहले से जारी अनुदानों का उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत करने और लाभार्थियों को वितरित की गई राशि और व्यय पीएफएमएस में दर्शाए जाने पर राज्य को अंतिम किस्त जारी की जाएगी। राज्य केंद्र और राज्य के हिस्से सहित कुल देनदारी का विवरण देते हुए व्यय का विवरण भी प्रस्तुत करेगा।

10. निगरानी और मूल्यांकन

निगरानी और मूल्यांकन का उपयोग योजना के प्रदर्शन का आकलन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि जिन उद्देश्यों के लिए योजना शुरू की गई है, उन्हें प्राप्त किया गया है। निगरानी और मूल्यांकन का उद्देश्य आउटपुट, परिणाम और प्रभाव के वर्तमान और भविष्य के प्रबंधन में सुधार करना है। इस संबंध में, डीबीटी मिशन ने दिशा-निर्देश तैयार किए हैं जिनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटक हैं:

I. आवेदन आमंत्रित करने, सत्यापन और निधियों के वितरण के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आईटी आधारित प्रणाली।
II. डेटा को लाभार्थी की जानकारी दर्ज करनी चाहिए, जिसमें आधार संख्या शामिल है और आधार सीआईडीआर के साथ एकीकृत होना चाहिए।
III. राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को स्थानीय सरकारी निर्देशिका (एलजीडी) मानक का पालन करना चाहिए
IV. संस्थानों को डीआईएसई/एआईएसएचई कोड का उपयोग करना चाहिए।
V. बैंक खाते को आधार से जोड़ा जाना चाहिए और पीएफएमएस / राज्य कोषागार के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।
VI. मंत्रालय अपनी स्वयं की योजना एमआईएस विकसित करेगा।
VII. राज्य/संघ राज्यक्षेत्र एक समान डेटा विनिमय प्रारूप में लाभार्थी डेटा साझा करेंगे।

उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन में, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने डीबीटी पोर्टल (dbttribal.gov.in) विकसित किया है और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और डीबीटी मिशन के परामर्श से एक समान डेटा विनिमय प्रारूप तैयार किया है। मंत्रालय राज्य को (i) डेटा साझा करने के लिए डीबीटी पोर्टल/एनएसपी पोर्टल के उपयोग के संबंध में अलग से निर्देश जारी करेगा। (ii) राज्य पोर्टल के साथ डीबीटी/एनएसपी पोर्टल का एकीकरण, (iii) डेटा का मानकीकरण, (iv) डेटा साझाकरण प्रारूप (v) एमआईएस रिपोर्ट और डैशबोर्ड।

यदि निधियों के किसी कपटपूर्ण उपयोग का पता चलता है, तो यह राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की जिम्मेदारी होगी कि वह एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर जांच करवाए। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र जनजातीय कार्य मंत्रालय को जांच के परिणाम साझा करेंगे। राज्य जनजातीय कार्य मंत्रालय के मूल्यांकन और निगरानी प्रभाग/नीति आयोग के विकास, निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) प्रभाग या आउटपुट-परिणाम की समीक्षा करने के लिए आवश्यक किसी अन्य केंद्रीय एजेंसी द्वारा नियुक्त निगरानी एजेंसी को डेटा, लाभार्थी विवरण सहित आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। योजना का प्रदर्शन।

जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकार के समन्वय में एक विशेष एजेंसी के माध्यम से योजना के आवधिक मूल्यांकन के लिए एक तंत्र तैयार करेगा।

11. केंद्रीय और राज्य पीएमयू:

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार छात्रवृत्ति योजना के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार राज्य पीएमयू की स्थापना के लिए राज्यों को धन उपलब्ध कराएगी।

राज्य पीएमयू की भूमिका

I. राज्य पोर्टल का रखरखाव और मरम्मत ।
II. डीबीटी मिशन की डेटा साझा करने की आवश्यकता।
III. पीएफएमएस की निधि जवाबदेही आवश्यकता।
IV. नीति आयोग के आउटपुट परिणाम की आवश्यकता।
V. शिकायत निवारण तंत्र।
VI. पोर्टल के साथ राज्य के बाहर सूचीबद्ध संस्थानों सहित सभी संस्थानों का एकीकरण।
VII. छात्र प्रश्नों का समाधान करने के लिए हेल्पलाइन।
VIII. जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा तैयार की गई डेटा विश्लेषण रिपोर्ट की जांच।

केंद्रीय पीएमयू की भूमिका

क. पोर्टल और डेटा संबंधी आवश्यकताएं:
   I. डीबीटी पोर्टल का रखरखाव और मरम्मत।
   II. डीबीटी, राज्यों, एनएसपी राज्यों और एनएसपी पोर्टल के लिए वेब सेवाओं के विकास सहित राज्यों के साथ डेटा साझा करने की आवश्यकता।
   III. दर्पण, पीएमओ और प्रदर्शन डैशबोर्ड के लिए वेब सेवाएं।
   IV. डेटा एनालिटिक्स और एमआईएस रिपोर्ट।

ख. निधियों के दुरूपयोग या दुरूपयोग के साक्ष्य के मामले में क्षेत्र का दौरा और जॉच करना।
ग. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, प्रशिक्षण के माध्यम से राज्यों की सहभागिता और क्षमता निर्माण।
घ. आवश्यकता के अनुसार योजना की आवधिक निगरानी और मूल्यांकन के लिए पेशेवर एजेंसी का नियोजन।

12. योजना के प्रावधानों में परिवर्तन

जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से इस योजना के प्रावधानों में किसी भी समय परिवर्तन किया जा सकता है।

******